

किस्म मुकदमा यूमानी बनाम पटेल-जन्त नं 2/26/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

8.3.18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 01.6.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 2270 रकबा 0.29, 2241 रकबा 0.09 हैक्ट0 वाले ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथारिथति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 01.06.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

7-6-18 आप्र पक्षीय - आप्र आपडे
डाट 2018" के मूकम अन्तरे अलावडा
में पेश हुई। वकील प्रार्थी को बहस
सुनी गई। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय
बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय
वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम
दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं
नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में
प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को
आगामी तिथि 01.6.2018 तक जर्ये
एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित
आराजी ख0 नं0 2270 रकबा 0.29, 2241
रकबा 0.09 हैक्ट0 वाले ग्राम अलावडा
तहसील रामगढ जिला अलवर को रहन,
बैय नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके
की यथारिथति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र
दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0
ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 01.06.2018
को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)